

खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. भूस्वामी का नाम – ख. उपखनिज का नाम – ग. जनपद का नाम – घ. तहसील का नाम – ड. खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम – च. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या – छ. क्षेत्रफल(हेक्टेयर में) – ज. विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा	
4.	विज्ञप्ति में परिहार की अवधि	
5.	क्या निविदाकार भूस्वामी है (हाँ/नहीं)	
6.	निविदाकार का नाम	
7.	निविदाकार के पिता का नाम (यदि लागू हो)	
8.	स्थायी पता	
9.	पत्राचार का पता	
10.	मोबाईल नम्बर	
11.	ई-मेल आइडी	
12.	पता का प्रमाण पत्र का नम्बर (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13.	जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
15.	प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)	ड्राफ्ट धनराशि ----- बैंक का नाम व शाखा ----- ड्राफ्ट का नम्बर ----- ड्राफ्ट का दिनांक ----- बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
16.	खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई-निविदा की दर- (ई-निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)	रु0-.....प्रति घन मी0 (अंको में) रु0-.....प्रति घन मी0 (शब्दों में)

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या

(खनन अनुभाग)

संख्या: 220 / क्वैरी कार्यालय / 2026-27

दिनांक 22/6/2026

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अयोध्या में नदी तल स्थिति निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू के खनन क्षेत्रों को उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23 के उपनियम (2)(ड.) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित करते हुए शासनादेश संख्या 2026/86-2019-57 (सा0)/2017 दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त नियमावली के अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत 06 माह की अवधि के लिए ई-टेंडर के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 27/07/2026 समय 10.00 बजे से दिनांक 03/08/2026 समय 5.00 बजे तक क्षेत्रों के लिये ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्षेत्रों का विवरण :-

क्र० सं०	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील/ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	सीमारे				उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा (घ०मी० में)	साधारण बालू की प्रचलित दर (रु० में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु० में)	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी रु० में
					चौहद्दी		जियोकोर्डिनेट						
1	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार निवासी बैजू का पुरवा तिहुरा मांझा दर्शननगर परगना हवेली अवध तहसील सदर, जनपद अयोध्या	सदर/मांझा रामपुर हलवारा 1663890102	2स	1.1267	उत्तर	गाटा संख्या 2का शेष भाग।	A	26°46'21.10" 82°15'31.09"	साधारण बालू	20280	80	1622400	405600
				दक्षिण	गाटा संख्या 03	B	26°46'15.40" 82°15'31.46"						
				पूर्व	गाटा संख्या 2 का शेष भाग।	C	26°46'14.95" 82°15'29.18"						
				पश्चिम	गाटा संख्या 2 का शेष भाग।	D	26°46'21.07" 82°15'28.92"						
2	श्री दुर्गा, श्री राम लखन आदि	रूदौली/मरौचा 1656730102	45ख	2.160	उत्तर	45 का शेष भाग	A	26°49'28.30" 81°49'42.40"	साधारण बालू	29160	80	2332800	583200
				दक्षिण	44 व 45 का भाग	B	26°49'29.00" 81°49'46.80"						
				पूर्व	सीमा ग्राम पत्तया व कैथी	C	26°49'22.40" 81°49'42.50"						
				पश्चिम		D	26°49'21.30" 81°49'47.80"						

- परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नहीं मानी जायेगी।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:-
 - विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञप्ति किया गया है।
 - विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
 - निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल न० (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)
 - क्या आवेदक भू-स्वामी है। (हाँ/नहीं)
 - उस क्षेत्र का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो:-
 - भू-स्वामी का नाम-
 - उप खनिज का नाम-
 - तहसील का नाम-
 - खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम-
 - गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या-

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा-

- च. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क ₹0 15,000/-के जमा का चालान।
- छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)
- ज. खनिज के प्रति घन मी० के लिए दी जाने वाली ई-निविदा की दर-(ई-निविदा की दर उस खनिज के लिए नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)
- झ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण-पत्र परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ-पत्र।
- ट. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
- ठ. भू-स्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई-निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।
4. बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा।
5. यदि निविदाकार बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख / बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेख की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।
6. ई-निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।
7. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेंडरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
 - (क) ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) ई-टेंडरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
 - (ग) विडर्स/ कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेंडर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
8. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेंडरिंग पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:-
 - (i) सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
 - (ii) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
 - (iii) निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Serch Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रुचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Partipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
 - (iv) निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
 - (v) निविदाकार द्वारा निविदा को समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर-3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 बनायी जानी होगी।
 - (vi) ई-टेंडर डाक्यूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे आफ लाइन" (Pay offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।
 - (vii) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

- (viii) निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्री-बिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
- (ix) यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
9. ई-टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राड बैंड इन्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोज़ एक्सपी सर्विस पैक-3 या उच्च आपरेंटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इन्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती हैं।
 10. जिला स्तर पर ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10 अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
 11. भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। ई-निविदा प्रक्रिया में भू-स्वामी को भाग लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु भू-स्वामी/भू-स्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई-निविदा के सम्बन्ध में विन्दु संख्या-3 में दी गई समस्त शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
 12. विज्ञप्ति के अनुसार ई-निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त भू-स्वामी के प्रथम इनकार हेतु निर्धारित अवधि 07 कार्यदिवस के पश्चात् प्राप्त ई निविदाओं को दिनांक 31/08/2026 अपराह्न 1.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार अयोध्या में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।
 13. भू-स्वामी द्वारा प्रथम इन्कार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घनमीटर हेतु) चयनित आवेदक द्वारा-भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा, जो राज्य सरकार संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भू-स्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
 14. सफल निविदाकर्ता/भू-स्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
 15. लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत होने के 03 कार्य दिवस में ई-निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भू-स्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहार धारक द्वारा भुगतान की जायेगी यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति के उपरान्त एक माह के अन्दर परिहार धारक को वापस कर दी जायेगी।
 16. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
 17. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
 18. सफल निविदाकार/भू-स्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
 19. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गई खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिए आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा की परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।

20. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
21. परिहार धारक द्वारा मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
22. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आकलित उपखनिज बालू आदि की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा में भाग लेने से पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
23. सफल ई-बोलीदाता/निविदादाता को खनन क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा तथा यदि तृतीय पक्ष द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है, तो विवाद के निस्तारण हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
24. उपरोक्त विज्ञापित क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है।
25. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
26. DSR में SEIAA द्वारा अंकित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी
अयोध्या।

संख्या 220 / क्वैरी कार्यालय/2026-27

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय खनिज भवन लखनऊ।
3. आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या।
4. प्रमारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद अयोध्या स्थान अमेठी।
5. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद अयोध्या।
7. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद अयोध्या।

22.6.24
जिलाधिकारी
अयोध्या